न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 263/2016/डिक्री

1. मांगीलाल पिता हरलाल जाट
2. मगनीराम पिता हरलाल जाट
3. मु0 प्यारी बेवा हरलाल जाट

तीनो निवासी साण्ड तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. बदामबाई पुत्री हरलाल पत्नि भूरालाल जाट
   निवासी साण्ड तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 01.07.2015 प्रकरण सं. 50/2014

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री चम्पालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं.–1

निर्णय दिनांक – 16.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने अपीलान्टगण प्रतिवादी के विरूद्ध मौजा साण्ड तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 47, 208, 567, 869, 871 कुल किता 5 रकबा 1.43 है भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीया तमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का 1/4 व इसी अनुसार खाता संख्या 148 मे दर्ज आराजी नम्बर 865, 866 कुल किता 2 रकबा 1.43 है0 भूमि मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया का 1/4 हक व हिस्सा बनता है उसी अनुसार घोषणा की जाकर बंटवाडा कराया जावे उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की कभी भी तामील नही हुई, बिना तामील के उक्त प्रकरण लोक अदालत कैम्प कारूण्डा मे

नियत किया जाकर प्रकरण बिना तामील व बिना जवाबदावे के प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि रेस्पोडेन्ट वादी संख्या 1 वादिया संख्या 1 स्वर्गीय हरलाल की पुत्री थी जिसका विवाह सम्पन्न होकर भूरालाल जाट निवासी साण्ड के निवासरत है। विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1वादिया का कभी कब्जा नही रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो के परे जाकर बिना कब्जे के घोषणा एवं बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री कर दी जो विधि के विरूद्ध है। प्रकरण लोक अदालत मे नियत किया गया जिसकी जानकारी अपीलान्टस को नही थी। अपीलान्टस लोक अदालत मे उपस्थित नही हो पाये, न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा ही प्रस्तुत हुआ, बिना राजीनामे के प्रकरण लोक अदालत मे निर्णय नही किया जा सकता है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिसमे दोनो पक्ष उपस्थित होकर राजीनामे अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01/07/2015 को पारित की गयी जिसकी जानकारी अपीलान्टस को नही थी। पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 26/07/2016 को हुई उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 26/07/2017 को ही नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 27/07/2017 को प्राप्त हुई। अपील अपीलान्टस बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01/07/2015 को निरस्त फरमायी जाने की डिक्री करायी जावे।

4. दौराने बहस वकील अपीलान्टस ने बयान किया कि खाता संख्या 150 मौजा साण्ड तहसील निम्बाहेडा मे 4 खातेदार है तथा खाता संख्या 148 मौजा साण्ड तहसील निम्बाहेडा मे 2 खातेदार है। इस प्रकार खाता संख्या 150 मे बंटवाडा का हक चाहा गया है

तथा खाता संख्या 148 मे घोषणात्मक एवं बंटवाडे की मांग की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 01/12/2014 की आदेशिका मे तामील नही होना तथा नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख है। दिनांक 21/01/2015 की आदेशिका मे प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट का उपस्थित होना एवं पावर पेश किये जाने हेतु समय चाहने का उल्लेख है। दिनांक 01/07/2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैँम्प कारूण्डा मे पेशी पर ली जाकर सम्पत्ति स्वअर्जित मानते हुए प्राथमिक जारी कर दी गई। उक्त आदेशिका पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर नही है केवल बदामबाई की उपस्थिति दर्ज है। कैम्प कोर्ट के सम्बन्ध मे कोई नोटिस जारी नही हुआ तथा नही कोई राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय मे घोषणात्मक अनुतोष चाहे जाने के बावजूद उस पर कोई निर्णय पारित नही किया गया है तथा न ही उक्त रिलीफ विड्रो करने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 01/07/2015 अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

5. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अपील प्रभावित पक्ष द्वारा की जाती है। महिला शादीशुदा है और अपने ससुराल रहती है। यह प्रकरण लोक अदालत मे निर्णित हुआ है जिसकी कोई अपील नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 01/07/2015 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसलिये अपील अपीलार्थी खारीज की जावे।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई, जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता के उपस्थित हो जाने के बाद भी बिना किसी प्रकार का लोक अदालत से सम्बन्धित नोटिस जारी किये एवं बिना तामील/उपस्थिति के निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकरण मे किसी प्रकार का राजीनामा भी प्रस्तुत नही हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 50/2014 मे पारित निर्णय एवं

प्राथमिक डिक्री दिनांक 01/07/2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ